

नाम न्यायालय

केस संख्या

3/1-

किस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
<p>1/11/2018</p> <p>2/2/2019</p> <p>5/1/2019</p> <p>5/1/2019</p> <p>5/1/2019</p>	<p>13/10/23</p> <p>18/10/23</p> <p>20/10/23</p>	<p>पणावणी पेशा हुई। कर्कोठ कारीगर व प्रति.सं. 1 लाठ प इठप प्रति.सं. 5 व 6 अनुपातित प्रतिकरी सं. 5 व 6 की वामिण साधारण दि० 22/12/2017 व जारी रने 25 अफ एडी दिनांक 5/1/2018 की होने के उपरान्त अखियता/परोकार क्रमशः दिनांक 5/1/2018 व 6/9/2018 में उपासित आये तत्पश्चात लगातार अनुपासित रहे हैं। दिनांक 6/10/23 को प्रतिवादी सं. 5 उठअ की उपासित होने व सरका की ओर से पडा रने व प्रतिकारी सं. 6 तदुपरांत सांगानेर की कड मतबा जाए पनांक 4284-85 दिनांक 6/9/23 व 4998-99 दिनांक 5/10/23 एवं 1959-60 दिनांक 6/10/23 मय ऑफिशिएट प्रेषित कए परेबो कठि तथा दिनांक 6/10/23 को उपासित होने व सरका की ओर से पडा रने हेतु -यावहित मे अन्ति अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अनुपासित रहे। प्रति.सं. 5 व 6 को सरकार की ओर से पडा रने हेतु समुचित अवसर प्रदान कियेगया प्रातेवादी सं. 5 व 6 अनुपासित प्रति.सं. 5 व 6 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही करी जाती है। पणावणी वास्ते वस अन्ति हेतु पणावणी दि० 13/10/23 को पेशा ही।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)</p> <p>पणावणी पेशा हुई। कर्कोठ कारीगर व प्रति.सं. 1 लाठ प इठप अफ अफ कर्कोठ अभयपश की वस सुनी गरी पणावणी वास्ते आइए हेतु पणावणी दि० 20/10/23 को पेशा ही।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)</p> <p>पणावणी पेशा हुई। कर्कोठ कारीगर व प्रति.सं. 1 लाठ प इठप कारीगर का काद विरुद्ध प्रति.सं. 5 व 6 के विरुद्ध किया जाता है। विस्तृत निर्णय प्रथक से लिखा जा कर बाकि किभागका सुगाभागका पणावणी नम्बा से काठ वेका काद कर्कोठ कारीगर हेतु सुगाभागका</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)</p>

संख्या
दिनांक
या